

20/5/2016

रा

राज्य लोक अदालत न्याय भाषण
 द्वार के नीचे जारी होने के
 बाद पत्रावली राज राज्य लोक
 अदालत अदालत सेवा केन्द्र गुण्डा
 गोजा पर पेश हुयी। उभय पक्ष
 पक्षों पक्ष के ल. पक्षों 104 व 105
 तथा प्रतिपक्षी पक्ष के ल. प्रतिपक्षी
 102 व 104 पक्षों के ल. उभय पक्ष
 के राजीनामा हो जाने के फल
 वार श्वारिज हो चुका है इस
 प्रापत्र के चलने का कोई अतिक्रम
 नहीं है अतः शर्मा व पत्र अलखारी
 निषेधाज्ञा श्वारिज किया जाता है
 पत्रावली फेलतशुभा होना संभव
 है कदम है तथा शामिल फूल वलद है।

नर

राख

साबुत अधिकारी
 नानयारा. शंकर (20/5/16)